

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़ (राज.)

सोहन लाल बनाम इमिगरन पुरी

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 185/2024 ज.प.ज

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

11/10/24

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती सोहनलाल रामनिवास -

पिता श्री सोहनलाल शर्मा वर्मा

निवासी- नगरी तहसील बस्ती जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम नगरी स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर 685, 686, 687, 688, 710, 728, 729

कुल कीता 7 कुल रकबा 1.78 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

अतः प्रार्थी की ग्राम नगरी स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर 685, 686, 687, 688, 710, 728, 729

कुल कीता 7 रकबा 1.78 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1500/- रूपये अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(विद्या कुंवर विरनोई)
स्वायत्त कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

